कार्यालय जिला परिषद्, पलामू |

Email- zila parishad.palamu@gmail.com

हाट बाजार बंदोबस्ती हेतु द्वितीय आम सूचना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 1376 / दिनांक 01.04.2015 के द्वारा सैरतों की बंदोबस्ती हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, जिसके अनुसार 100000.00 (एक लाख) रुपये से अधिक राशि के सैरात की बन्दोबस्ती जिला परिषद् स्तर से की जाएगी | दिनांक 27.07.2018 को संपन्न जिला परिषद, पलामू के बोर्ड की बैठक में पलामू जिला के विभिन्न हाट की बंदोबस्ती हेतु डाक की न्यूनतम राशि निर्धारित की गयी है |

तत् आलोक में जिला परिषद् पलामू के आम सूचना ज्ञापांक 456 / जि०प०, दिनांक 30.07.2021 (प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक 455/ जि०प० दिनांक 30.07.2021) द्वारा आमंत्रित डाक के रद्द होने के फलस्वरूप पलामू जिला अंतर्गत निम्नांकित हाट बाजार की खुली डाक द्वारा बंदोबस्ती हेतु सर्वसाधारण से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है –

क्र०	हाट/बाजार का नाम	प्रखण्ड/अंचल क्षेत्र	वर्ष 2021 हेतु डाक की तिथि	समय	डाक की न्यूनतम राशि	अग्रधन की राशि (10%)
1	2	3	4	5	6	7
1	पांकी हाट	पांकी	22.09.2021	11:30AM	307462.00 (1 वर्ष के लिए)	30746.00
2	तरहसी हाट	तरहसी		12:30 PM	233035.00 (1 वर्ष के लिए)	23304.00

हाट बाजार बंदोबस्ती हेतु नियम व शर्तें |

1. उपरोक्त हाट बाजार के बंदोबस्ती हेतु पलामू जिला के निवासी भाग ले सकते हैं |
2. हाट बाजार की बंदोबस्ती खुली डाक के माध्यम से की जाएगी | डाक हेतु न्यूनतम राशि निर्धारित है तथा सर्वोच्च डाकवक्ता को बंदोबस्ती का अधिकार प्राप्त होगा |
3. हाट बाजार की बंदोबस्ती हेतु इच्छुक व्यक्ति को **दिनांक 21.09.2021 तक** कॉलम संख्या-7 में निर्धारित अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो **सचिव, जिला परिषद् पलामू के पदनाम से भुगतेय होगा** कार्यालय जिला परिषद्, पलामू में जमा करना अनिवार्य होगा |
4. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अग्रधन की राशि के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट के साथ दो पासपोर्ट साइज़ फोटो, वैध चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं पैन कार्ड का छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा |
5. डाक की बोली का अंतर न्यूनतम 10000.00 (दस हजार) रूपये होगा |
6. हाट बाजार की बंदोबस्ती की अवधि एक वर्ष की होगी |
7. सर्वोच्च डाक वक्ता को डाक समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण डाक राशि का 50% राशि तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा | शेष 50% राशि अगले 6 माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा | इस प्रकार डाक समाप्ति के छः माह के अंदर सम्पूर्ण डाक की राशि जमा करना होगा अन्यथा एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा |

8. बिना कारण बताये किसी भी डाक को अस्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार जिला परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

9. यदि सर्वोच्च डाक वक्ता निर्धारित समय तक डाक की राशि जमा नहीं करते हैं तो क्रमशः द्वितीय स्थान के डाक वक्ता से डाक की राशि जमा करा कर उनके साथ बंदोबस्ती कर दी जाएगी और प्रथम डाकवक्ता का दावा स्वतः रद्द मानते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।

10. बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को जिला परिषद्, पलामू के नियम एवं शर्तों के अनुरूप जिला निबंधन कार्यालय के माध्यम से एकरारनामा कराना होगा तथा इसके बाद ही वसूली हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।

11. किसी भी विपरीत परिस्थिति यथा विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करने का अधिकार जिला परिषद पलामू को सुरक्षित रहेगा।

12. हाट बाजार स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर सम्बंधित ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद जिम्मेवार नहीं होगा।

13. हाट बाजार बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को वसूली प्रारंभ करने से पूर्व दर तालिका का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। वसूली में किसी भी प्रकार के अनियमितता पाए जाने पर एकतरफा निर्णय लिया जायेगा।

14. निर्धारित शर्त का उल्लंघन करने पर एकरारनामा रद्द किया जा सकता है।

15. इस आम सूचना में आंशिक / वृहत संशोधन अथवा इसे रद्द करने का अधिकार सचिव जिला परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

16. COVID-19 से सम्बंधित सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में स्थानीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, पलामू।

ज्ञापांक– 490 जि0प0 / दिनांक 25/08/21

प्रतिलिपि – प्रधान सहायक, जिला परिषद, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि जिला परिषद, कार्यालय के सूचना पट्ट, पाँकी एवं तरहसी के बाजार क्षेत्र एवं चौक–चौराहे पर इस सूचना को चस्पा कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एंव NIC पलामू के Website www.palamu.nic.in पर Upload करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर, पलामू जिला को सूचनार्थ एंव अनुमण्डल कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, को सूचनार्थ एंव प्रखण्ड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/8/21

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, पलामू।